न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 87/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/306)

निर्णय दिनांकः-05-12-2023

1. अल्लायार पुत्र श्री गुलाम कादर जाति मुसलमान निवासी मुसेवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24—09—2021
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितः

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के निर्णय व डिक्री दिनांक 24—09—2021 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि चक 2 केएसएम के मुरब्बा नम्बर 46/34 में 23 बीघा महज पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दी गयी। अपीलांट् ने कभी भी अपनी खातेदारी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। जिसमें किसी प्रकार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय में जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें माना गया है कि मौके पर किला नम्बर 1 ता 3 व 8 ता 10 में खनन कार्य हो रहा है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट् की समस्त भूमि को आराजी राज दर्ज करने के आदेश एकतरफा तौर पर प्रदान कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व धारा 177(4) के प्रावधानों की पालना नहीं की है। जो बाध्यकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में ना तो तनकी कायम की ना ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा धारा 177 का प्रस्तुत किया जबकि दावा दावे की श्रेणी में नहीं आता है क्योकि इस दावे में ना तो सत्यपान है तथा दावा दो कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वाद की प्रक्रिया के विरुद्व पारित किया गया है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट् की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में जिप्सम का अवैध खनन करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। अपीलांट ने खातेदारी भूमि में जिप्सम का खनन किया है जो अवैधानिक कृत्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष तहसीलदार राजस्व बज्जू ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, बज्जू ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी/अपीलांट को नोटिस जारी किया। नोटिस पर अपीलांट के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व नियमानुसार एकतरफा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कार्यवाही की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अपीलांट ने अपने रकबे पर जिप्सम खनन किया है जबकि अपीलांट का कथन है कि जिप्सम का अवैध खनन उनके द्वारा नहीं किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह तो साबित है कि अपीलांट् ने अपनी खातेदारी भूमि पर अवैध खनन किया है। जिससे भूमि किस्म में परिवर्तन कृषि से अकृषि कार्य में हुआ है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का आदेश दिनांक 24–09–2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4.12.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर